छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2019

(माघ 26, शक सम्वत् 1940)

[अंक 11]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2019

(माघ 26, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ0चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप फिर मेरी से बात से सहमत होंगे। आज फिर देख लीजिए। सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों, विधायकों, सब में निराशा बहुत है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महादेय, उधर भी वही हाल है।

श्री मोहन मरकाम (कोन्डागांव) :- सदन से आये हैं ये। 15 से 20 में लटक गये।

समय :

11:00 बजे

निधन का उल्लेख

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के शहीद जवान

अध्यक्ष महोदय :- गुरूवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 को **जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों** के काफिले पर आतंकवादियों द्वारा किये गये आत्मघाती हमले में अपने जवान शहीद हो गये तथा कई जवान घायल हुए हैं। इन जवानों ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है। आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों पर किये गये इस कायराना कृत्य की यह सदन कड़ी निंदा एवं भर्त्सना करता है। शहीद जवानों को कर्तव्यपरायणता को हमेशा याद रखा जायेगा। यह सदन उन शहीद जवानों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दुख की इस घड़ी में हम सभा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायल जवानों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना घटित हुई है, उसके बारे में मैं अपने दल की पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- नेता जी, आप आखिरी में बोलिए न।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- मेरा पहले आयेगा, उसके बाद आपका आयेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- पहले इनका आयेगा, उसके बाद में फिर आपका।

श्री धर्मजीत सिंह :- अच्छा।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर की यह जो घटना है, जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा कायरतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। आज पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ उन शहीदों के परिवार के साथ खड़े हुए हैं और साथ ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना का इनको आने वाले समय में जवाब दिया जा सके, आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ के हम सभी लोग देश के साथ में हैं, कश्मीर के साथ में हैं। सेना के जवान, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं। जम्मू से कश्मीर जा रहे थे और पुलवामा में यह जो आत्मघाती हमला आतंकवादियों के द्वारा किये गये। उनके यह मनसूबे कभी पूरे नहीं होंगे । भारत को कमजोर करना चाहते हैं। यह मनसूबे उनको कभी पूरे नहीं होंगे और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि हमारे जवान और हमारे देश के सभी लोग इस घटना को लेकर कि आने वाले समय में हम उनको सबक सीखा सकें, इसके लिए तैयारी में रहेंगे। समय की आवश्यकता है। हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं सभी शहीद जवानों, जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, को मैं भारतीय जनता पार्टी और अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं कि भगवान अपने चरणों में स्थान दें साथ ही इस दुख के समय में उनके परिवार को इस असहय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, कल पुलवामा में जैसे मोहम्मद का एक आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर भारत के हमारे वीर सपूतों को दो सौ क्विंटल से ज्यादा ब्लास्ट लेकर और आत्मघाती हमला करके हमारे 42 सैनिकों को मौत की घाट उतारा है । अध्यक्ष जी, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। हम बहुत व्यथित है। लेकिन, अगर इस घटना से आतंकवादी यह सोच रहे होंगे कि हमारी भारत माता को कमजोर कर सकेंगे, तो यह उनका भ्रम है। अध्यक्ष जी, यह वीर सपूतों का देश है। इस जननी में, भारत की धरती में अनेकों वीर सपूत पैदा होते रहे हैं। आज उन वीर सपूतों ने देश की आजादी की रक्षा के लि ए, देश की सुरक्षा के लिए अपने जानों की आहुति दी है। उनका यह बलिदान व्यर्थ तो नहीं जायेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, इस घटना से पूरा देश व्यथित है, यह सदन व्यथित है, छत्तीसगढ़ व्यथित है। अध्यक्ष जी, हम तो इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में भारत सरकार से मांग करेंगे जैश ऐ मोहम्मद और लश्कर ऐ तैयबा जैसी संस्था, जो पाकिस्तान में बैठकर हिन्दुस्तान में हमारी शांति को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे देश में आतंकवादी भेज रहे हैं, उनको तबाह करने के लिए वह जैसा चाहे , वैसा कार्रवाई करें और पाकिस्तान में बैठे हुए इन आतंकवादियों को नेस्तानाबूत करें। हमारी धरती लाल हो चुकी है और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी धरती और हमारे जवान बलिवेदी पर चढ़े। देश की आजादी की रक्षा जवानों के कारण ही वहां पर हो रही है। इसीलिए हम सुरक्षित हैं। उन बेगुनाह जवानों का कोई दोष नहीं था। सबेरे 3 बजकर कुछ मिनट पर जम्मू से निकले और साढ़े तीन बजे उन जवानों के ऊपर एक सिरफिरा, एक खतरनाक मानव बम जो आतंकवादियों के द्वारा भेजा गया था, उसने बम ब्लास्ट किया है। अध्यक्ष जी, सोचिये कितना विभत्स दृश्य होगा। इनको कुचलने के लिए जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, वह होना चाहिए। क्योंकि अब बहुत हो चुका है। भारत की धरती बहुत लाल हो चुकी है। अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा प्रदेश भी इसी प्रकार की घटनाओं से हमेशा रूबरू होते रहता है। हम लोग इस व्यथा को जानते हैं। मैं उन वीर सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के प्रति शोक व्यक्त करता हूँ और उन्हें यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ।

डॉ0 रमन सिंह (राजनांदगांव) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में इस घटना की निंदा हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सी0आर0पी0एफ0 के जवानों के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादी हमले हुए हैं, निश्चित रूप से यह पूरा सदन उन शहीद जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पूरा देश उनके परिवारों के साथ खड़ा है और हम सब अपनी भावना व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की, आपने इस सदन में जो भावना व्यक्त की , मुझे लगता है कि इतनी बड़ी शहादत बेकार नहीं जायेगी। निश्चित रूप से इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को देश से हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। आज मैं अपनी ओर से, अपने सभी सदस्यों की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की रक्षा करने वाले, हम सबकी रक्षा करने वाले उन जवानों को, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, मैं अपने दल की ओर से, पूरे सदन की ओर से आज श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इतना आत्मबल प्रदान करें कि उस दु:ख को सह सके। धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सी0आर0पी0एफ0 के 40 से अधिक जवान देश की रक्षा करते-करते शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को मेरी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवारों को इस दु:ख की घड़ी में दु:ख सहने की शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज देश की एकता और अखण्डता के लिए हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे जवानों की यह शहादत बेकार नहीं जायेगी और देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। उनके लिए मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, हम सब दु:खी हैं। सारा देश दु:खी है। भारत माता की सेवा में हमारे जवान सीमाओं में तैनात रहते हैं। दो ही तो हैं, एक तो हमारे वीर जवान, वीर सपूत और दूसरा, इस धरती के किसान, जिसकी बदौलत ये सारा देश टिका हुआ है । हम लोग जब संसार में अपने देश की ऊंचाइयों की बात करते हैं तो सबकुछ इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है और इन वीर सपूतों के कारण ही ये सारा देश सुरक्षित है । जिस तरीके से इस देश में आतंकवादी गतिविधियां संचालित हैं, राजनीति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर आत्मघामी हमला किया गया, 44 लोगों की मौत हुई, अभी कुछ समाचार-चैनलों में चल रहा है कि वह उससे बढ़कर 47 हो गया है । पता नहीं उनकी संख्या क्या होने वाली है ? 25 सौ जवानों का काफिला था और जिस तरीके से कायराना हमला किया गया, ये जिनके द्वारा भी किया गया, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए । सारा देश वीर सपूतों के साथ है, सारा देश उनको नमन कर रहा है । मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । हमारा अपना छत्तीसगढ़ भी लाल आतंक के साये में इसी प्रकार की घटनाओं से रोज रूबरू होता है । तालमेटला में 78 जवानों की मौत हुई थी, आपके साथ हम लोग गए थे, पता नहीं ऐसा दृश्य देखने को भी हमें न मिले, इस प्रकार हम लोग लगातार सोचते हैं, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ भी इसी प्रकार के आतंक की गतिविधियों का एक केन्द्र बना हुआ है, लेकिन देश में ऐसी जो घटना हुई, बेहद अफसोस की घटना है । केन्द्र सरकार जिस प्रकार से भी कदम उठाए, सारा देश उनके साथ है । हम जवानों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं, परिवार के प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं और चाहेंगे कि उनको जिस प्रकार से भी सहयोग की जरूरत हो, देश उनके साथ खड़ा है, हम सब उनके साथ खड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं । शहीदों के सम्मान में अब सदन दो मिनट का मौन धारण करेगा ।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- शहीदों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(पूर्वाह्न 11:14 से 11.21 बजे तक सभा की कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
11.21 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- श्री अरूण वोरा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का उत्तर इतना लम्बा है कि अरूण वोरा जी उसको पढ़ रहे हैं, चाहे तो आप उसके पढ़ने तक दूसरे को ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अरूण वोरा जी ।

प्रदेश में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण

1. (*क्र. 541) श्री अरूण वोरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शैक्षणिक वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए छपाई, कागज की खरीदी की निविदा या आपूर्ति का आदेश किस-किस फर्म को कितनी-कितनी राशि एवं किस आधार पर दिया गया ? (ख) क्या इन कार्यों के लिए निविदा बुलाई गई ? यदि नहीं तो कार्यादेश किन नियमों के तहत किया गया ? (ग) वर्णित पुस्तकों में किस मापदण्ड के कागज का उपयोग किया गया ? कितनी-कितनी राशि का अग्रिम भुगतान किस-किस फर्म को कब-कब किया गया ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शैक्षणिक वर्ष 2016-17 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए छपाई का कार्य कुल 26 मुद्रकों को आवंटित किया गया था, जिसमें कुल राशि 16,73,05,606.00 रुपये (सोलह करोड़ तिहत्तर लाख पांच हजार छः सौ छः रुपये मात्र) व्यय हुआ. मुद्रकों को प्राप्त न्यूनतम दर (एल-1 दर) के आधार पर मुद्रण कार्य आवंटित किया गया है. फर्मवार जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र “अ” में है. शैक्षणिक वर्ष 2017-18 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए छपाई का कार्य कुल 28 मुद्रकों को आवंटित किया गया था, जिसमें कुल राशि 16,81,70,776.00 रुपये (सोलह करोड़ इक्यासी लाख सत्तर हजार सात सौ छिहत्तर रुपये मात्र) व्यय हुआ. मुद्रकों को प्राप्त न्यूनतम दर (एल-1 दर) के आधार पर मुद्रण कार्य आवंटित किया गया है. फर्मवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है. शैक्षणिक वर्ष 2016-17 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए कागज की खरीदी का आदेश कुल 04 मिलों को दिया गया था, जिसमें कुल राशि 73,60,99,919.00 रुपये (तिहत्तर करोड़ साठ लाख निन्यान्वे हजार नौ सौ उन्नीस रुपये मात्र) व्यय हुआ. राष्ट्रीय निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर (एल-1 दर) के आधार पर कार्य आदेश दिया गया है. फर्मवार जानकारी प्रपत्र “स” में † संलग्न है. शैक्षणिक वर्ष 2017-18 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए कागज की खरीदी का आदेश कुल 05 मिलों को दिया गया था. जिसमें कुल राशि 71,68,03,913.00 रुपये (इकहत्तर करोड़ अड़सठ लाख तीन हजार नौ

[1] परिशिष्ट “एक”

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सौ तेरह रुपये मात्र) व्यय हुआ. राष्ट्रीय निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर (एल-1 दर) के आधार पर कार्य आदेश दिया गया है, फर्मवार जानकारी प्रपत्र "द" में + संलग्न है. (ख) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए छपाई कार्य हेतु एवं कागज क्रय करने हेतु निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर की निविदा जारी की गई. (ग) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के आतंरिक पृष्ठ के मुद्रण में 70 जीएसएम मैपलिथो वर्जिन पल्प ऑफ वुड रील कागज एवं कव्हर पृष्ठ के मुद्रण में 220 जीएसएम कोटेड बोर्ड कव्हर कागज का उपयोग किया गया है. कागज क्रय हेतु किसी भी फर्म को अग्रिम भुगतान नहीं किया गया.

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि शैक्षणिक वर्ष 2016-2017 और वर्ष 2017-2018 में नि:शुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु छपाई एवं कागज की खरीदी के लिए निविदा राष्ट्रीय स्तर पर कब-कब जारी की गई एवं कुल कितनी फर्मों ने निविदा में भाग लिया ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-2017 और वर्ष 2017-2018 में जो फर्मे भाग ली है, उसको परिशिष्ट में दिया गया है । 16 पाठयपुस्तकों के मुद्रण में जो विज्ञापन निकला है, उसमें वर्ष 2016-2017 में 26 मुद्रकों की संख्या उसमें आई, इनको काम दिया गया । वर्ष 2017-2018 में छपाई के लिए 28 मुद्रक इसमें भाग लिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक पूरी टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है । इसमें राष्ट्रीय एवं लोकल स्तर पर भी अलग-अलग डेट में विज्ञापन निकाले जाते हैं, जो भी उसमें निविदा आती है, उसका परीक्षण करके छपाई का काम दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरक प्रश्न ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 26 फर्मों ने निविदा में भाग लिया । उसमें हमारे राज्य की कितनी फर्में थी, राष्ट्रीय स्तर पर कितनी थी, जबकि हमारे प्रदेश का पेपर उद्योग संकट में है और कई पेपर उद्योग बंद हो चुके हैं । क्या हमारे राज्य को इसमें वरीयता दी गई है और क्या आने वाले समय में वरीयता दी जायेगी ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दोनो हैं, राज्य के भी हैं और बाहर के भी हैं । जिनके पास छपाई करने के लिए क्षमता होती है, उसको देखकर हम काम देते हैं । इस पूरी सूची में रायपुर के भी हैं, ज्यादातर तो रायपुर के ही हैं । शारदा प्रिंटिंग रायपुर, एपल इंटरप्राईजेज रायपुर, बी.के.ऑफसेट रायपुर इन सबको छपाई का काम दिया गया है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2016-2017 में कागज की खरीदी का आदेश किन चार मिलों को एवं वर्ष 2017-2018 में किन पांच मिलों को दिया गया?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम - माननीय अध्यक्ष महोदय, किताब छापने के लिए पेपर की जो निविदा होती है उस निविदा में 9 लोगों ने भाग लिया, उसमें तकनीकी निविदा के लिए 6 लोग पात्र पाये गये और जब इसकी निविदा होती है तो उसकी तकनीकी जांच भी होती है और पेपर की लैब टेस्टिंग भी होती है कि कौन सा पेपर सही और कौन सा पेपर सही नहीं है और ये वर्जिन पल्प वुड जो लकड़ी से बनता है और जितने भी पेपर मिल हैं लगभग सभी पेपर मिल लकड़ी से ही बनते हैं, वर्जिन पेपर, वुड से बनते हैं और उनकी लैब टेस्टिंग होती है। वह लैब टेस्टिंग बंबई में, देहरादून में होता है तो उसमें वर्ष 2016-17 में स्टाफ पेपर मिल, सेंचुरी पेपर मिल और ओरियंट पेपर मिल को काम दिया गया और उसमें जो रेट कांट्रेक्ट होते हैं, जब टेंडर खुलता है तो एल-1 जो भी आता है और उसमें जो भी रेट होते हैं और उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वह माल बेच सकता है, वह कितने पेपर दे सकता है, उसके अलावा जो एल-2 और एल-3 आता है तो उसी रेट में यदि वह देना चाहता है और जितना हमारा रिक्वायरमेंट है तो वर्ष 2016-17 में हमारा रिक्वायरमेंटर 12 हजार मीट्रिक टन का था, तो उसमें स्टाफ पेपर मिल 3500 मीट्रिक टन दिया, सेंचुरी पेपर मिल 2000 मीट्रिक टन और ओरियंट पेपर मिल 6500 मीट्रिक टन दिया। तो जितना हमारा रिक्वायरमेंट था उसमें उतना पूरा हो गया। जब किताबें छपती हैं तो उसके अंदर के जो पेपर होते हैं वह 70 जीसीएम का पेपर होता है और जो बाहर के कवर पेपर होते हैं वह 220 जीसीएम का होता है। तो दोनों के लिए अलग-अलग टेंडर होते हैं। 220 जीसीएम पेपर के लिए जब निविदा बुलाई गई थी उसमें आई.पी.सी. कलकत्ता ने भाग लिया था और उन्होंने कहा कि जितना आपका रिक्वायरमेंट है मैं पूरा करूंगा तो एक ही में हम लोग स्वीकार किए और उसकी पूर्ति हो गई।

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी, निविदा की जानकारी आपने दी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पाठ्यपुस्तक निगम के भंडार में कितनी पुस्तकें पड़ी हुई हैं और कितने पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया है?

अध्यक्ष महोदय :- ये आपके प्रश्न से उद्भुत नहीं होता।

<u>आदिम जाति रिसर्च इंस्टिट्यूट (टी.आर.आई) का गठन</u>

2. (*क्र. 36) श्री अजय चन्द्राकर: क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जाति रिसर्च इंस्टिट्यूट (टी.आर.आई.) का गठन कब हुआ और उसका उद्देश्य क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन दिनांक 12.05.2004 को हुआ और उसका उद्देश्य निम्नांकित है :—

(1) अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना.

(3) अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना.

(4) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का नृजातीय (इथनोलाजिकल), मानवशास्त्रीय (एन्थ्रोपोलॉजिकल) परीक्षण कर शासन को अभिमत देना.

(5) अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना.

(6) आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य प्रदेश के लिए टी.आर.आई. बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। उसका गठन माननीय डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि टी.आर.आई. एन्थ्रोपोलॉजिकल और इथनोलाजिकल में किन-किन बिन्दुओं पर अध्ययन करती है और उन बिन्दुओं पर अध्ययन करके वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 में कितनी जातियों को अनुसूचित जाति में एवं कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए या त्रुटि सुधार के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजी है? किन-किन बिन्दुओं पर अध्ययन करके भेजती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कितने का भेजी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टी.आर.आई. का जो गठन हुआ था, उसमें हमारे राज्य की विभिन्न प्रिविडेट प्राईज उनके अध्ययन के लिए के लिए बनाया गया था, जैसे माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इथनोलाजिकल स्टडी, एन्थ्रोपोलॉजिकल दोनों है। एन्थ्रोपोलॉजिकल का जो स्टडी होता है, उसमें किसी भी जाति का चाहे वो कमार हो, बैगा हो, भारिया हो, ये इसकी उत्तपति कहां से हुई, कहां से आये, इनके गोत्र क्या हैं? इनके टोटम क्या है, इसकी शारीरिक रचना किस प्रकार से होती है, इसकी पूजा विधि किस प्रकार से होती है, रहन सहन कैसा है, इसकी बोली कैसी होती है, ये सारे बिन्दुओं पर चर्चा करते हैं, इसमें पूरा स्टडी होता है। एक जातीय स्टडी होता है, इसमें उसके पिछड़ेपन, उसकी रीति रिवाज, उसकी परंपरा, ये सारी मान्यताएं और हमारे जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए, इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए, उसके लिए सारी स्टडी होती है। स्टडी होने के बाद हम इसको भारत सरकार को देते हैं। भारत सरकार ये यहां से अनुमति मिलने के बाद कार्य किया जाता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का ही पूरा उत्तर नहीं आया है। 2017-18 और 2018-19 में कितनी जातियों को अध्ययन करके आपने अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए और कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा भेजी है और उसमें क्या हुआ है? मेरा पहला प्रश्न है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी परीक्षण का अभिमत जो दिया गया है, उसमें केंवट, ढीमर, कहार, मलहार, पारधी, सांवरा, सौरा........।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जाति को नहीं गिनना है, मुझे वो मालूम है। आपने कितने का अध्ययन करवा के भारत सरकार को भेजी है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं सारी जातियों का, जो यहां पर आवेदन में दिये हैं, उनको शामिल किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं । आपने इस्पेसिफिक कितनी जातियों का अध्ययन करवाया और कितने को भारत सरकार को भेजा, कितनी सारी जातियां हैं, उसका उत्तर नहीं है....।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, प्रश्नाधीन अवधि में कितने जातियों का आपने रिकमंड करके भेजा है, सिर्फ वो जानकारी दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बहुत सी जातियों का भेजा है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप नहीं बतायेंगे तो आगे बढ़ता हूं। जैसे व्यवस्था दें या आप कहें तो मैं आधे घंटे की चर्चा लगा दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर जी, आप ही ने तो बोला था कि 23 जातियों का है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को खड़िया, सौरा, पारधी ......।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अच्छा आप ही के हित का प्रश्न है। आपका दुरूपयोग नहीं होगा यदि तथ्य सामने आयेंगे तो।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी, मेरी बात सुनिये न, बहुत ईंपारटेंट क्वेश्चन है और विस्तृत होगा, आप आधे घंटे की चर्चा मांग लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दे दी, आधे घंटे की चर्चा मांगने की।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कृषि भूमि के सीमांकन नामांतरण एवं डायवर्सन के लंबित मामले

3. (*क्र. 745) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि भूमि के सीमांकन, नामांतरण एवं डायवर्सन (आवासीय भूमि हेतु राजस्व न्यायालय) के कितने मामले लंबित हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	तहसील का नाम	सीमांकन	नामांतरण	डायवर्सन
1.	बिलाईगढ़	18	85	84
2.	कसडोल	02	48	10
	योग	20	133	94

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री से ये जानना चाहूंगा जिसमें माननीय राजस्व मंत्री ने मेरे विधानसभा में सीमांकन, नामांकन एवं डायवर्सन हेतु, सीमांकन हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी 20, नामांतरण हेतु 133 और डायवर्सन हेतु 94 प्रकरण लंबित होना बताया है। मैं माननीय राजस्व मंत्री से ये जानना चाहूंगा कि ये प्रकरण कब से लंबित हैं और ये कब तक निराकृत किये जायेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, ये सीमांकन के प्रकरण 2013-14 में 0, 2015-16 में 0, 2016-17 में 5, 2017-18 में 9 और 2018-19 में 6 हैं। कुल 20 प्रकरण लंबित हैं। नामांतरण के प्रकरण वर्ष 2013-2014 में 01, वर्ष 2015-2016 में 01, वर्ष 2016-2017 में 22, वर्ष 2017-2018 में 74, वर्ष 2018-2019 में 33 कुल 133 प्रकरण लंबित है और डायवर्सन के वर्ष 2013-2014 में जीरो, वर्ष 2015-2016 में जीरो, वर्ष 2016-2017 में 03, वर्ष 2017-2018 में 06, वर्ष 2018-2019 में 85 कुल 94 प्रकरण लंबित है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी, मैंने ये जानने का प्रयास किया कि ये लंबित प्रकरण पूर्ववर्ती सरकार के समय का है। किसान सीमांकन, नामांतरण, डायवर्सन कराने के लिए ऑफिस, दफ्तर के चक्कर काटते रहे। पर ये पिछला प्रकरण, पटवारियों,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तहसीलदारों के माध्यम से ये गोरखधंधा चलता रहा। ये प्रकरण आज तक लंबित है माननीय मंत्री जी बतायें कि इसका निराकरण कब तक हो जाएगा ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, लेकिन हम जल्दी इन प्रकरणों को पूरा करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक पूरक प्रश्न और कर सकते हैं, आप प्रश्न करिए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति लेकर पूछना चाहूंगा कि चूंकि मेरे विधान सभा में कोई शहरी इलाका नहीं है। वहां अवैध तरीके से कृषि भूमि को आवासीय कॉलोनी व्यवसायिक कॉलोनी बनाने के लिए विभाग द्वारा कब से अनुमति दी गई है? माननीय मंत्री जी, आप बतायेंगे कि कैसे, किस प्रकार से आवासीय कॉलोनी बनायी जा रही है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आवासीय कॉलोनी की जानकारी दे दें कि वह कहॉ बनायी जा रही है। क्योंकि इसमें आवासीय कॉलोनी की कोई जानकारी नहीं है और अगर आप स्पेसिफिक बता दें तो मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा या उसको अलग से...।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय मंत्री महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरसींवा एक ग्राम पंचायत है जहां ग्रामीणजनों, किसान लोगों की जमीन को औने-पौने में बहला फूंसलाकर खरीद लिया गया है और वहीं भू माफिया और एजेण्ट लोगों के द्वारा दलाली करके कॉलोनी बनायी जा रही है और विभाग की बगैर अनुमति के लिया गया है। क्या आप जांच करके, कार्यवाही कराना चाहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, आप लिखित में जानकारी दे दीजिए कि कहां-कहां गड़बड़ी हो रही है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकारी दे दीजिए। हम कलेक्टर को निर्देश जारी कर देंगे कि अगर इस प्रकार की कोई कॉलोनी अवैध बनायी जा रही है तो निश्चित तौर पर जांच करायेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी डायवर्सन से मेरा एक प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भूमि हस्तांतरण, डायवर्सन करवाने के लिए, राजस्व रिकॉर्ड लास्ट कौन सा मान्य है क्या उसके लिए मिसल की आवश्यकता है ? या अधिकार अभिलेख पर्याप्त है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए लोक सेवा गारण्टी भी लागू है और उसमें समय-सीमा तय है। इसलिए अगर आप जो भी चीज बोलेंगे, हम आपको उसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करवा देंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- नहीं। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जमीन की डायवर्सन करवाते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसमें मिसल आवश्यक है कि अधिकार अभिलेख पर्याप्त है? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसिंह अग्रवाल जी का आज पहला प्रश्नकाल दिवस है। आप इस बात की जांच करवाईये कि वह रात को सोये नहीं हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय चन्द्राकर जी, मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं कि सालों से लोग पीछे लगे रहें। मैं जितना आराम से सोता हूँ, शायद कोई नहीं सोता होगा। मैं बहुत आराम से सोता हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय भाई, आप दूसरे के घर में बहुत तांक झांक करते हो, आपका यही सब काम रह गया है क्या ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बता दें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी में आ रहा हूँ। लोक सेवा गारण्टी नियम के तहत समय-सीमा होती है कि इतने समय में नामांतरण, डायवर्सन, करने का है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ आपने कहा है कि यह संभव नहीं है तो जो भी प्रकरण है क्या उसको समय सीमा में करवायेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मिलने पर हम लोग पुराने अभिलेख से भी इसका परीक्षण कराते हैं और आप अगर कोई भी बता दें कि किसी क्षेत्र का कुछ बाकी है तो हम उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा देंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ...

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी आपका प्रश्न क्रमांक 04 पूछिये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डायवर्सन के लिए मिसल आवश्यक है या अधिकार अभिलेख मान्य है ? क्योंकि जांजगीर-चांपा जिले में बिना मिसल के डायवर्सन नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 04।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डायवर्सन का सरलीकरण किया जा रहा है अभी हम लोग 2-4 दिन के अंदर आदेश निकालेंगे। पूरा उसका परीक्षण हो गया, उसके बाद जो डायवर्सन की समस्या है उसको इतना सरल कर दिया जायेगा कि प्रदेश में डायवर्सन की समस्या ही नहीं रहेगी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज्ञा हो तो मुझे इसी में पूरक प्रश्न पूछना था।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्कूलों में सायकल का वितरण

4. (*क्र. 526) श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में स्कूलों में सायकल का आवंटन हो गया ? अगर नहीं तो क्यों ? (ख) सायकल का वितरण कब तक किया जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां, शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19 में स्कूलों में सायकल का आवंटन पात्र हितग्राहियों की संख्या के आधार पर किया गया है. (ख) सायकलों का वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जरा प्रश्न को देखें, मैंने जानकारी वर्ष 2018-19 की मांगी है और वर्ष 2019-20 की जानकारी दी गई है। मैं प्रश्न कैसे पूछूं, जरा मुझे बता दें? अभी वर्ष 2019-20 शुरू नहीं हुआ है, विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है। मुझे लगता है कि पूरे अधिकारी और सब लोग मिलकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने जानकारी वर्ष 2018-19 की मांगी है और वर्ष 2019-20 की जानकारी दे रहे हैं और वर्ष 2019-20 तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस प्रश्न को आप अगली बार ले लें और अगली बार लेकर इसके ऊपर में ठीक से जवाब आ जाये, क्योंकि मैं जो जवाब चाहता हूं वह जवाब जरा आप देख लें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप कुछ कहेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जानकारी तो वर्ष 2018-19 की ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- वर्ष 2018-19 की जानकारी दी गई है, संशोधन आपके कक्ष में रख दिया गया होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन नहीं मिला है। हमें विधानसभा में आने तक संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। मैं घर से पौने 11:00 बजे निकला हूं, पौने 11:00 बजे तक प्राप्त नहीं हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप लेट हो गये होंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं राईट टाईम आया हूं, बिफोर आया हूं। इस प्रश्न के कारण ही मैं बिफोर आया हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमें ये भरोसा था कि आप हमेशा लेट आते हो तो आज भी लेट आयेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न तो तैयार है न ? उनके पास उत्तर वर्ष 2018-19 का ही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि मेरे को लगता है कि इस प्रश्न को आप अगली बार ले लें और अगली बार लेकर इसकी चर्चा करवा लें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- वर्ष 2018-19 की ही जानकारी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, अगले दिन, कल, परसों के लिए रख दीजिए, वह तो रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें वर्ष 2018-19 का ही उत्तर दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2018-19 की जानकारी पूछी है और माननीय मंत्री जी वर्ष 2019-20 का जवाब दे रहे हैं जो वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ, मैं उसमें कैसे प्रश्न पूछूंगा ? इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप अगली बार रख लें, अगले प्रश्न दिवस में जिस दिन स्कूल शिक्षा विभाग का प्रश्न हो, उस दिन उसको रख लें और उस पर जवाब दिलवा दें।

अध्यक्ष महोदय :- उनने वर्ष 2018-19 के हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर लिया है, उत्तर तैयार कर लिया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब वर्ष 2018-19 का ही दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब वर्ष 2018-19 का ही दे रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों के यहां तो टंकण त्रुटि हम लोगो ने कई बार माना है। वर्ष 2018-19 की जगह वर्ष 2019-20 लिखा गया, आप मानने को तैयार नहीं हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये टंकण त्रुटि हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- पहले प्रश्नकर्ता का प्रश्न हो जाये, उसके बाद पूरक प्रश्न होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि विधानसभा की इस प्रकार की मान्य परंपराएं रही हैं, अगर कोई प्रश्न के बारे में पूरी तरह गलत उत्तर है या मंत्री उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं तो वैसी स्थिति में उस प्रश्न को अगले प्रश्न दिवस के लिए पहले प्रश्न के रूप में उसको लिया जाता है, कृपय आप उसको ले लें।

अध्यक्ष महोदय :- वह उत्तर देने में सक्षम हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका उत्तर सही है, माननीय सदस्य महोदय, मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न पूछ लें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। उसमें टंकण त्रुटि हुई है।

श्री अजीत जोगी :- टंकण त्रुटि है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टंकण त्रुटि नहीं है, ये तो पूरा-पूरा जो वर्ष 2019-20 प्रारंभ नहीं हुआ है, उसके बारे में जवाब दे रहे हैं और मैंने वर्ष 2018-19 का जवाब मांगा है, वर्ष 2019-20 का जवाब दे रहे हैं, काल्पनिक प्रश्न कैसे करेंगे ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं कितनी देर से हाथ खड़ा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अभी मुख्य प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न प्रारंभ नहीं किया है, पूरक प्रश्न कैसे आ सकता है ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ये तो अगली बार के लिए बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब आपकी उम्र नहीं रही भई।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको कैसे पता लगा ? (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भाभी जी बता रही थीं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे बृजमोहन भैया, अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में पूरे छत्तीसगढ़ में कुल कितनी सायकलों का वितरण होना था और उसमें से कितनी सायकलों का वितरण हुआ है और आज भी कितनी सायकिलें आकर स्कूलों में या शिक्षा विभाग के पास में पड़ी हुई हैं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कुल हितग्राही थे, उसमें एस.टी., एस.सी. और बी.पी.एल. के जो छात्र हैं, उन लोगों की जिलेवार जो संख्या है वह 1 लाख 76 हजार 79 है और उसमें विभिन्न जिलों में अभी अलग-अलग वितरण की कार्यवाही चल रही है और अभी तक जो वितरण हुआ है उसमें 69,472 साईकिलों का वितरण हो चुका है अगर आप कहें तो मैं उसमें जिलेवार बता दूं । बालोद में...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जिले के अनुसार नहीं चाहिए । मैं जिले के अनुसार नहीं मांग रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको जिले के अनुसार नहीं चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा शिक्षा सत्र समाप्त होने वाला है, परीक्षा का समय आ गया है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1 लाख 76 हजार 79 साईकिलों का वितरण होना था और केवल 79,472 साईकिलों का वितरण हुआ है बाकी साईकिलों का वितरण अभी तक क्यों नहीं हुआ और कब होगा ? क्योंकि यह जो साईकिलें हैं यह नवमीं क्लास की बच्चियों को

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मिलना है और यह बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिये कि लड़कियां स्कूल जायें इसलिये इसको दिया गया है और अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वितरण क्यों नहीं किये ? सरकार तो इनकी थी । हम लोग तो अभी आये हैं, अभी कुछ दिन हुए हैं तो फिर वितरण क्यों नहीं किये ? आप खुद वितरण नहीं किये हैं और प्रश्न पूछते हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधानसभा है । यह घोर आपत्तिजनक है । विधानसभा में उत्तर आना चाहिए । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्तिजनक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- या तो ये स्वीकार कर लें कि उत्तर नहीं दे सकते । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- श्री चंद्राकर जी शांति से बोलना नहीं जानते । हर वक्त चिल्लाकर बोलते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शांत होईए । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप स्वीकार कर लीजिये कि उत्तर नहीं दे सकते । उसमें क्या बुराई है ? (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी पर जोर-जबरदस्ती दबाव बनाना चाह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब देना कि क्यों नहीं बांटे, घोर आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

श्री संतकुमार नेताम :- आपकी सरकार में कितनी साईकिलों का वितरण किया गया ? (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- साईकिल वितरण की जिम्मेदारी तो आपकी भी थी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं । बैठिए-बैठिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी के प्रश्न में माननीय मंत्री जी का जवाब आना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय जी इतना उत्तेजित होकर बोलते हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या माननीय मंत्री जी का यह जवाब उचित है कि आपने क्यों नहीं बांटा ? क्या यह जवाब उचित है ? स्कूल शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना चाहिए, उसका कारण बताना चाहिए, नहीं है तो समयावधि बताना चाहिए । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो शैली अपनायी क्या वह उचित है ? (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का यह जो उत्तर है, जवाब ठीक नहीं है इसलिये आप मंत्री जी को थोड़ा प्रताड़ित करें । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का यह जवाब कि आपने साईकिल क्यों नहीं बांटा, साईकिल बांटने कभी कोई मंत्री नहीं जाता। साईकिल बांटने का काम जिले के अधिकारी करते हैं, मंत्री जी को अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करनी चाहिए और वे स्वयं उल्टा जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से प्रताड़ित करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह घोर आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप जरा बैठिए । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इतना जोर-जोर से चिल्लाते हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी का व्यवहार जो है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्नकाल है । प्रश्नकर्ता को मंत्री जी से उत्तर की अपेक्षा होती है । (मेजों की थपथपाहट) अगर वे सही उत्तर नहीं दे रहे हैं तो उसको संशोधित किया जा सकता है लेकिन आप सब लोग एक-दूसरे से प्रश्न करेंगे तो गलत है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन चंद्राकर जी का मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, आये दिन यह बवाल करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- फिर आप गलत बात कर रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साईकिल का जो उठाव होता है उसमें कई खामियां रहती हैं, उसका एसेंबल होता है और कई कमियां रहती है उसे देखकर बांटते हैं । वहां एक समिति होती है, वह यह सब देखकर बांटती है । इसलिए स्वाभाविक रूप से विलंब होता है । हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि विलंब न हो । लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, अध्यक्ष महोदय । चूंकि अभी सरकार बने 50 दिन ही हुए हैं, उसके पहले किन कारणों से नहीं बंटी यह दिखवा लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारी आपत्ति इसी बात पर है कि यह रूटिन का वर्क है । एक नई सरकार आई और नई सरकार ने रूटिन के कामों को भी रोक दिया। 9 वीं क्लास की बच्चियों को जो नई सायकल मिलनी चाहिए, बल्कि मंत्री जी को अपनी असक्षमता को स्वीकार करना चाहिए । मैंने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि कितनी सायकलें आपके निर्देश के कारण नहीं बंट पाईं । हजारों सायकलें स्कूलों में पड़ी हैं । बच्चियों को बंट नहीं रही हैं, कबाड़ हो रही हैं । आपका इतना [XX][2] है। जो सायकलें

[XX][2] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आ गई हैं, आप उसको नहीं बंटवा पा रहे हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सायकलें पड़ी हैं, स्कूलों में कबाड़ हो रही हैं । उन्होंने कहा कि सरकार का निर्देश नहीं है बांटने के लिए, इसलिए हम नहीं बांट सकते । यह रूटिन का काम है, हमारे बांटने का या आपके बांटने का काम नहीं है । एक बार टेंडर हो गया, सप्लाई होना और बच्चियों को बंटना है । अभी तक 1 लाख बच्चियों को सायकल नहीं बंटी है । परीक्षाओं का समय आ गया है । कितनी सायकलें स्कूलों में पड़ी हैं, नहीं बांटने के लिए कौन दोषी है और आप कब तक उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? सायकलें कब तक बंटवा देंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी कहा, [XX] । कौन [XX] है ? कोई [XX] नहीं है, यह आप इस तरह की भाषा का उपयोग मत करिये ।

अध्यक्ष महोदय : - विलोपित कर देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सायकल नहीं बांट पाये तो यह [XX] नहीं है तो क्या है ? बिल्कुल [XX] है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- पिछली सरकार ने खरीदी की और नहीं बांट पाई । यहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं (व्यवधान) ।

श्री मोहम्मद अकबर :- कोई [XX][3] नहीं है । अरे, यह आपका [XX] है। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- पिछले साल हमने भी सवाल लगाया था कि आपने कितनी सायकल वितरण किया ?

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, यह इनकी अकर्मण्यता है, जिसे [XX] कह रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मेरे आने के बाद मैंने निर्देश दिया कि जिन सायकलों का वितरण नहीं हुआ है उनका वितरण किया जाए । उसका वितरण चालू है । अब यह कौन सक्षम है और कौन असक्षम है, यह तो समय बता रहा है ना। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के कारण चूंकि आचार संहिता लागू हो गई थी उसके कारण सायकल का वितरण नहीं हो पाया था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, आचार संहिता को खत्म हुए दो महीने हो चुके हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आचार संहिता से पहले क्यों नहीं बांटे, यही तो मैंने पूछा था तो आप खड़े हो गए ।

एक माननीय सदस्य :- आप बता दीजिए कि आचार संहिता लगने के पहले आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बांटा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आचार संहिता लगने के बाद यह बंटना बंद हो गया था, जैसे ही

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[XX], [XX][3] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

हमारी सरकार आई, मैंने उनको निर्देश दिया है कि जो सायकल जहां पर है उसे ठीकठाक करके उसका बंटवारा किया जाए । हमने यह भी निर्देश जारी किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री लखेश्वर बघेल ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने संख्या पूछी है । माननीय मंत्री जी बता दें कि कितनी सायकलें स्कूलों में अभी पड़ी हुई हैं जो बंटी नहीं हैं । आज चुनाव हुए तीन महीने हो गए, तीन महीने के बाद भी नहीं बंटी, यह रूटिन का काम है । सायकलें बच्चियों को क्यों नहीं मिली, अगर तीन महीने से बच्चियों को सायकलें नहीं मिली हैं तो इसके लिए कौन दोषी है, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जब मैंने बता दिया कि 1 लाख, 73 हजार 79 सायकलें बंटनी थीं और 69 हजार, 472 सायकलें बंटी हैं । सुकमा में नहीं बटी है, जगदलपुर में नहीं बंटी है, दुर्ग में नहीं बंटी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं सिर्फ संख्या पूछ रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- संख्या बता दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ में बालिकाओं की शिक्षा का महत्वपूर्ण मामला है । अगर छत्तीसगढ़ में बढ़ी है तो बालिकाओं को सायकल दिए जाने के कारण बढ़ी है । माननीय मंत्री जी यह बता नहीं पा रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- क्या आपने इन्हें भाषण की अनुमति दी है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्रीजी यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने सायकलें स्कूलें में हैं, जो बंटी नहीं है, वे क्यों नहीं बंट रही हैं ? मंत्री जी यह नहीं बता पा रहे हैं कि सायकल सप्लाई क्यों नहीं हो रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास संख्या है तो बता दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक और आरोप लगा दिये कि सुनना नहीं चाह रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो बता रहा हूं । बालोद जिले 5109 बंटनी थीं, 3074 बटी हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे प्रदेश का एक्जाई बता दीजिए, वे सुनना चाहते हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बता चुका हूं मैं । पूरे प्रदेश का बता चुका हूं कि कितनी बंटनी थी और कितनी सायकलें बंटी हैं । इन्होंने कहा कि कहां कहां नहीं बंटी, मैं वही बता रहा हूं । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अरे, बैठो भाई । हर वक्त खड़े हो जाते हो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, रायपुर में 11573 सायकलें बंटनी थीं 7000 बंटी हैं, बाकी नहीं बंटी हैं । नारायणपुर में 1122 बंटनी थी, 701 बंटी, सुकमा जिले में 999 बंटनी थीं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने पूछा कि कुल कितने सायकलें स्कूलों में पड़ी हुई हैं जो बंटी नहीं हैं और बाकी कब तक बंट जाएंगी । इसकी समय सीमा माननीय बता दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सुकमा में 999 नहीं बंटे हैं। सूरजपुर में नहीं बंटे हैं। जांजगीर चांपा में नहीं बंटे हैं। दंतेवाड़ा में नहीं बंट पाये हैं। बीजापुर में नहीं बंट पाये हैं। कोंडागांव में नहीं बंट पाये हैं। कबीरधाम में नहीं बंट पाये हैं। जशपुर में नहीं बंट पाये हैं। जहां-जहां नहीं बंटे हैं, हम यथाशीघ्र बांटने की कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप कब तक खड़े रहेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे अपने आपको मंत्री समझ रहे हैं (श्री सत्यनारायण शर्मा की ओर इशारा करते हुए) आपने उनके भ्रम को तोड़ दिया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपने फिर मेरा नाम पुकारा।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, प्लीज आप अपना पूरक प्रश्न करिए। शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया इसलिए मैं आपसे चाहता था कि इसको अगले दिन रख दें। मैं एक जानकारी चाहता हूं कि कुल साइकिलें 1 लाख 76 हजार में से कितनी साइकिलें अभी स्कूलों में पड़ी हुई हैं जो बंटी नहीं हैं। मैं उसकी संख्या जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कितनी बंट चुकी है, आपने उसकी संख्या तो दे दी है न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं दिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं दिया है। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं तो कई बार बता चुका हूं 1 लाख 76 हजार बंटनी और कुछ साइकिलें उसमें घटिया भी तो हैं। उसकी जांच करानी पड़ेगी। घटिया साइकिलें खरीदी गई है, उसकी जांच कराएंगे (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरा जवाब दिलवा दें।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मंत्री जी हम लोग आपसे मांग करते हैं कि सही जांच हो, घटिया साइकिलें नहीं मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- घटिया साइकिल की जांच कराएंगे क्या। ...(व्यवधान) यह जांच का विषय है। जांच होगी क्या?

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग अनावश्यक बातें मत बोलिए। प्रश्नकाल में बाधा मत डालिए। आपका पाइण्टेड क्वेश्चन बताइए।

श्री बृहस्पत सिंह :- घटिया साइकिल की जांच होगी क्या, ये बताएं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा पाइण्टेड प्रश्न है कि स्कूलों में कितनी साइकिलें अभी बची हुई हैं, जो बंटी नहीं हैं और आ गई हैं। बाकी बच्चियों को कब तक आप साइकिल उपलब्ध करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधा-सीधा पाइण्टेड उत्तर दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जहां नहीं बंट पायी हैं जो खराब साइकिलें हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- एक माह, दो माह इतना कहिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसकी हम परीक्षण करा लेंगे। यथाशीघ्र बांटने की कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं संख्या पूछ रहा हूं। इसमें परीक्षण क्या बचा है? परीक्षण नहीं है। माननीय मंत्री जी (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- गुणवत्ता की जांच।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- घटिया किस्म की साइकिलें खपाना चाहते हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कई साइकिलें घटिया हैं तो उसको कैसे बांटेंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बच्चियों को साइकिलें कब तक दे देंगे?

श्री कुलदीप जुनेजा :- बृजमोहन जी साइकिल की क्वालिटी बहुत घटिया है। उसी का परीक्षण करवाएंगे। बहुत घटिया साइकिलें है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बच्चियों को साइकिलें कब तक दे देंगे? यह मुझे बता दें। 20 फरवरी तक दे देंगे, 15 मार्च तक दे देंगे। छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा के ऊपर में महत्वपूर्ण मामला है। आप यह घटिया और अच्छे की बात मत करिए और बालिका शिक्षा के लिए यह सरकार कितनी लापरवाह है और लापरवाह होने के कारण आज बालिका शिक्षा धीरे-धीरे घटती जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको क्या भाषण देने की अनुमति दी गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बालिका शिक्षा को लेकर आपके सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसे 50 दिन में दूर नहीं किया जा सकता।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा जवाब आ जाए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बालिका शिक्षा के प्रति हमारी भी चिंता है और हम उसके लिए चिंतित हैं लेकिन जहां साइकिल वितरण नहीं हुआ है, हम यथाशीघ्र बांटने की कार्रवाई करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तारीख बताइए न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- तारीख बताना संभव नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह शिक्षा का सत्र समाप्त हो रहा है और समाप्ति तक माननीय मंत्री जी को इसमें टेंडर नहीं करना है। टेंडर हो चुका है। इनको साइकिल बुलवाना है। साइकिल सल्पाई करवाकर बच्चियों को बांटना है। यह बालिका शिक्षा का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय हम बहिर्गमन करते हैं। बालिका शिक्षा के मामले में लापरवाही के कारण हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय:
11.59 बज

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों शासन के उत्तर के विरोध में

(माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री बृहस्पत सिंह :- गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बहिर्गमन से पहले यह बता दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- इन लोगों को भागना था इसलिए...।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहिए न। सत्यनारायण शर्मा जी, एक मिनट बचा है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साइकिल किस कंपनी ने सप्लाई की थी? आज उनकी क्या हालत है ? अगर साइकिलें खराब हैं तो उस कंपनी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जिन-जिन कंपनियों की साइकिलें खराब हैं, हम उनकी जांच कराएंगे और जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- किन-किन कंपनियों ने साइकिल सप्लाई की थी? इसमें कमीशनखोरी हुई है। घटिया किस्म की साइकिलें दी गई हैं। इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि किस-किस कंपनियों ने सप्लाई किया और घटिया किस्म की सामग्रियां पायी जाने पर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसमें कोहिनूर साइकिल और सेट...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 7 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक - 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके सम्बन्ध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

1. जांजगीर-चांपा जिले में लीलागर व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु अधिग्रहण की गई कृषकों की जमीन का भुगतान नहीं किया जाना।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम बछौद, सुल्ताननार और नवापारा (ब) में बिलासपुर जल संसाधन खारून संभाग द्वारा लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर का निर्माण किया गया है। उपरोक्त नहर के निर्माण पूर्ण होने के बाद सर्विस बैंक को चौड़ा करने के लिए नहर के दोनों तरफ 5-5 मीटर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया। विभागीय अधिकारियों के आश्वासन और अनुरोध पर उपरोक्त ग्राम के प्रभावित कृषकों ने अपने जमीन का कब्जा सिंचाई विभाग को सौंप दिया। किन्तु उक्त ग्राम बछौद के 25 किसान और नवापारा के 37 किसानों को आज तक अपनी जमीन का भुगतान नहीं मिला है। ग्राम बछौद के पाल सिंह, तिहारू सिंह, टिकराम, रेवाराम और अन्य अपनी जमीनों की मुआवजा राशि के लिए प्रतिदिन चक्कर काट रहे हैं। विभाग के पटवारी और अन्य अधिकारी पुन: निरीक्षण का लंबित मामला बता कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहर का निर्माण तो हो गया है, परन्तु लाइनिंग न होने के कारण पूरा पानी नहीं छोड़ा जाता है। एक ही बरसात में पानी देने से उपरोक्त नहर जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। लीलागर नदी पर बनाया एक्वाडक्ट लीक हो रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। किसानों को न तो पानी मिल रहा है और न ही जमीन का पैसा। इससे किसानों में रोष और आक्रोश व्याप्त है।

जल संसाधन मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, लीलागर व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य का निर्माण बिलासपुर जिले में किया गया है। इस योजना से बिलासपुर जिले में 1100 हैक्टेयर खरीफ, 288 हैक्टेयर रबी तथा जांजगीर-चांपा जिले में 529 हैक्टेयर खरीफ कुल 1917 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। इस योजना की पुन: पुनरीक्षित स्वीकृति रू. 4730.42 लाख की दिनांक 13.04.2018 को प्राप्त की गई। योजना वर्ष 2018-19 में पूर्ण की गई। इस योजना के बछौद शाखा नहर कार्य हेतु प्रभावित 07 ग्रामों में ग्राम बछौद, सुल्तारनार एवं नवापारा(ब) शामिल है। यह सही नहीं है कि सर्विस बैंक को चौड़ा करने के लिए शाखा नहर के दोनों तरफ 05-05 मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अपितु वस्तुस्थिति यह है कि केवल एक ग्राम यथा बछौद में भू-अर्जन के पश्चात नहर के दोनों तरफ 05-05 मीटर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि उक्त ग्राम में नहर के प्रोफाइल अनुसार तकनीकी मापदण्ड के अनुरूप कुल 30 मीटर चौड़ाई में नहर का निर्माण किया जाना पड़ा। यह सही नहीं है कि ग्राम बछौद के 25 एवं ग्राम नवापारा के 37 कृषकों को मुआवजा भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि ग्राम बछौद के 29 कृषकों एवं ग्राम नवापारा (ब) के 13 कृषकों को भुगतान नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त ग्राम मोहदा के 07, ग्राम सुल्तारनार के 09, ग्राम ढोरला के 10, ग्राम चंदनिया के 09 कृषकों एवं ग्राम पीपरदा के 09 कृषकों इस प्रकार कुल 86 कृषकों को मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका है। क्योंकि कृषकों के खाते में बटांकन की त्रुटि होने तथा नहर हेतु अधिग्रहित की गई । पूरक भू-अर्जन प्रकरण आपसी सहमति से भू-अर्जन क्रय नीति 2016 के अंतर्गत पंजीयन/अर्जन हेतु कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत किया गया जिस पर उनके द्वारा ली गई आपत्तियों का निराकरण कर पुन: दिनांक 11.02.2019 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । यह सही है कि अतिरिक्त निजी भूमि के भू-अर्जन हेतु कृषकों की सहमति से नहर निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया। यह सही नहीं है कि ग्राम बछौद के पाल सिंह, तिहारू सिंह, टिकराम, रेवाराम और अन्य अपनी जमीनों के पैसे के लिए प्रतिदिन चक्कर काट रहे हैं, अपितु वस्तुस्थिति यह है कि पाल सिंह, तिहारू सिंह, टिकराम व रेवाराम ग्राम चंदनिया के निवासी हैं तथा पाल सिंह वल्द दरबार सिंह का 0.202 हेकटेयर, तिहारू सिंह वल्द चैतु सिंह का 0.202 हेक्टेयर, टिकराम समारू वल्द जगसिंह का 0.024 हेक्टेयर, रेवा राम वल्द समयलाल का 0.061 हेक्टेयर एवं अन्य कृषकों को मिलाकर 07 ग्रामों के कुल 86 कृषकों के कुल 4.217 हेक्टेयर भूमि का पूरक प्रकरण प्रक्रियाधीन है । अत: कृषकों द्वारा मुआवजा राशि के लिए प्रतिदिन चक्कर काटने एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा लंबित मामला बताकर पल्ला झाड़े जाने का कथन निराधार है । विभागीय अधिकारियों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

द्वारा कृषकों के मुआवजा भुगतान हेतु समुचित कार्यवाही की गई है । वर्तमान में भू-अर्जन प्रकरण के निराकरण अर्द्धन्यायिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है ।

नहर के निर्माण उपरांत माह अगस्त-सितम्बर, 2018 में पहली बार परीक्षण के तौर पर नहर में जल प्रवाहित किया गया तथा 06 ग्रामों में 450 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की गई । जल प्रवाह में नहर के रूकावटों को ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से हटाकर दिनांक 03/01/2019 को कार्य पूर्ण किया गया है तथा इस नहर प्रणाली की लाईनिंग हेतु आगामी बजट में प्रस्तावित किया गया है । आगामी खरीफ फसल हेतु योजना से निर्धारित क्षेत्र में पूर्ण रूप से सिंचाई की जावेगी ।

लीलागर नदी में वर्ष 2012-13 में बछौद डिस्ट्रीब्यूटरी में निर्मित एक्वाडक्ट में कोई रिसाव परिलक्षित नहीं हुआ तथा जल का प्रवाह सुचारू रूप से हुआ । उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह सही नहीं है कि किसानों को न तो पानी मिल रहा है न ही जमीन का पैसा प्राप्त हो रहा है । वस्तुस्थिति यह है कि नहर में परीक्षण के रूप में जल भी प्रवाहित हुआ है तथा अर्जित भूमि हेतु भू-अर्जन प्रकरण/आवार्ड पारित होने हेतु प्रक्रियाधीन है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 86 किसानों को उनके जमीन के प्रकरण का पैसा नहीं मिला है । दिनांक 11.2.2019 को ध्यानाकर्षण लगने के बाद मुआवजा का प्रकरण प्रस्तुत हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक हो जाएगा और किस दर से हो रहा है, आपसी सहमति है तो किस दर से हो रहा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, एक तो प्रक्रियाधीन है, शासन ने स्वीकार किया । पैसे की कमी नहीं है क्योंकि पूरी योजना के लिए पैसे हैं । तीसरा, आपने कहा कि मुआवजा कब तक हो जाएगा और किस दर में हो जायेगा और आखरी आपके ध्यानाकर्षण में है कि उसकी लाईनिंग और उसकी सिंचाई सुविधा As per design उसको हो जाना चाहिए । अभी पहला प्रति एकड़ जो भू अर्जन की राशि है, वह लगभग 12 लाख रूपए प्रति एकड़ वर्तमान दर है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी चूंकि अभी ही हमने उसको प्रारंभ किया, आपके ध्यानाकर्षण लगने के बाद फिर से प्रतिवेदन दिया है और त्रुटियों के बारे में भी उत्तर में बड़ा स्पष्ट है इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा और इतने रूपये की राशि जो दी जाएगी, जिसका मैंने जिक्र किया, किसानों को प्राप्त हो जाएगा, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है और आखरी बात, आपने कहा कि इसी सत्र से, आगामी सत्र से ही जो डिजाईन है, उसके अनुरूप सिंचाई प्रारंभ हो जाएगी ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो दूसरा मामला है कि लीलागर एक्वाडक्ट में लीकेज है । मैं किसानों के साथ जिम्मेदारीपूर्ण इस पूरी योजना में पैदल चलकर देखा हूं कि किसान के खेत तक पानी जाना चाहिए । जब लीलागर नदी के एक्वाडक्ट है तो उसका क्रास रेग्युलेटर लीलागर नदी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में बिलासपुर जिले में है तो क्रास रेगुलेटर थे, जो पानी छोड़ते थे, क्रास रेगुलेटर से किसानों को अंतिम फसल में पानी नहीं मिलने की समस्या आ रही थी । समस्या के लिए कहा गया कि इसमें पानी छोड़कर देखा जाये, इसकी व्यवस्था की जा सकती है और किसानों के फसल को बचाया जा सकता है । जब हम वहां जाते थे, खड़े होकर क्रास रेगुलेटर से पानी छोड़वाते थे, एक्वाडक्ट में पानी लीक होता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक्वाडक्ट लीलागर नदी के ऊपर से जो पुल बना है, बिलासपुर जिले से क्रास करके जिससे पानी आता है । अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, आपका क्षेत्र रहा है । जो पानी जाता है, वह पानी वहां से लीक होता है, इसलिए पूरी क्षमता में पानी नहीं आता । इसीलिए आपके जवाब में आया है कि 6 ग्राम में 450 हेक्टेअर में पानी दिया गया । वास्तव में डिजायनिंग थी, 5 ग्राम में 520 हेक्टेअर में पानी देना है । इसलिए एक्वाडक्ट की जांच करवायेंगे क्या ? एक्वाडक्ट की लीकेज के नाम से पानी नहीं जा पा रहा है । जो लीकेज होगा, उसको बनवायेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने कहा है ना कि हमारे अधिकारी उत्तर तैयार करने के पहले गये थे । वैसे भी एक्वाडक्ट का निर्माण अच्छा हुआ है । लीलागर नदी के ही डायवर्सन को लीलागर नदी से ही एक्वाडक्ट बनाकर बिलासपुर जिले से जांजगीर जिले में पानी पहुंचाया गया । विभाग को बधाई दीजिए, अच्छा काम हुआ है और दूसरा पूर्ण क्षमता से सिंचाई हो पायेगा कि नहीं, यह आपकी चिन्ता है । अभी यह उत्तर में स्वीकार किया गया कि यह तो ट्रायल बेस पर पिछले साल पानी छोड़ा गया था । तीसरी बात कहा गया कि इसमें जब हम लाइनिंग का काम पूरा करेंगे, जो आपका प्रश्न है और जो आपकी चिन्ता है, विभाग आखिर स्वीकार कर रहा है । आगामी खरीफ के समय में आपको पूरा पानी दिया जायेगा ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बधाई की बात की तो मैं बधाई देता हूँ, उस एक व्यक्ति को जो यहां पर नहीं है, वह है हेमचंद यादव जी, जिन्होंने मेरे प्रश्न के कारण डिजाइन करवाया, जब मैं विधायक था । आज वह नहीं है, मैं उनको बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है । वहां पर मिटटी का काम हुआ है । मिटटी के लायनिंग का काम नहीं हुआ है, मिटटी का काम हुआ है । मिटटी का जो काम हुआ है, उसमें मुरूम का काम न करके मिटटी डाल दिया गया है । इसकी वजह से बार-बार नहर टूट रही है । जहां पानी ज्यादा है, वहां नहर टूट रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जांच करायेंगे क्या ? ठेकेदार ने मिटटी का काम किया है, उसका क्या होगा ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- लायनिंग का काम करेंगे तो त्रुटि जो ये कह रहे हैं, वह अपने आप दूर हो जायेगी ।

श्री सौरभ सिंह :- ठेकेदार को पूरा पैसा दे दिया गया है, काम खत्म हो गया है । ठेकेदार भाग जायेगा तो फिर सरकार का पैसा खर्च होगा । अभी उसका पैसा रोककर कार्यवाही कराकर करवा लें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- पहले जांच चाहते हैं कि लायनिंग चाहते हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- जांच भी हो, लायनिंग भी हो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लायनिंग का काम प्राथमिकता से करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री विनय जायसवाल ।

2. प्रदेश के दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एवं डॉ.भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था का होना ।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- रायपुर में भारी भरकम राशि व्यय कर दाऊ कल्याण सिंह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल निर्मित किया गया है, लेकिन वहां आने वाले मरीजों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है । उक्त अस्पलाल को स्थापित करने के लिए जबरिया डॉ.भीम राव अम्बेडकर अस्पताल से न्यूरो सर्जरी विभाग को डी.के.एस.अस्पताल में शिफट कर दिया गया है, जिससे मल्टीपल इंज्यूरी (कई चोट) के आने वाले मरीजों को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । नवंबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में डब्यू.आर.एस. कॉलोनी की भगवती नामक युवती के दुर्घटना में दोनों पैर कट जाने से बहुत ही असहज परिस्थिति का सामना करना पड़ा । उसे अम्बेडकर अस्पताल से डी.के.एस. अस्पताल न्यूरो सर्जरी हेतु जाने का कहा जाता रहा तथा डी.के.एस. से अम्बेडकर अस्पताल के अस्थि रोग विभाग जाने को कहा जाता रहा । जिससे युवती ईलाज के अभाव में तड़पती रही, उसे प्रारंभिक चिकित्सा भी समय पर प्राप्त नहीं हो सकी । अंत में उसे रात 10 बजे अंबेडकर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया एवं उसके कटे पैर को उसके बिस्तर में ही रखा गया, जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया गया । कमोबेश यह स्थिति निरंतर यहां आने वाले मरीजों की बनी हुई है । अत्याधिक राशि व्यय कर सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में व्यापक सुविधा न होने तथा अंबेडकर चिकित्सालय की सुविधा उक्त अस्पताल हेतु छीने जाने से दोनों अस्पतालों में आने-वाले मरीजों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि दाऊ कल्याण सिंह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण में बड़ी लागत लगी है । किन्तु यह कहना सही नहीं है कि डी.के.एस.में लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है, अपितु न्यूरोसर्जरी, बर्न प्लास्टिक,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी जैसे पूर्ण रूप से सुसज्जित सुपरस्पेशियलिटी विभाग अत्याधुनिक मशीनों के साथ उच्च कोटि का उपचार प्रदेश की जनता को उपलब्ध करा रहे हैं । यह भी कहना सही नहीं है कि अंबेडकर अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग को डी.के.एस. अस्पताल में जबरन शिफट किया गया है । बल्कि राज्य शासन के महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना के तहत विभिन्न सुपरस्पेशियालिटी विभागों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक ही छत के नीचे लाने का प्रयास किया गया है तथा 450 सुपरस्पेशियालिटी बेड इस अस्पताल में उपलब्ध कराया गया है जो अंबेडकर अस्पताल में संभव नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अंबेडकर अस्पताल में मैं कल ही गया था, वहां 750 बेड स्वीकृत हैं और 1300 से ज्यादा मरीज वहां सेवा प्राप्त कर रहे हैं।

यह सही है कि नवंबर 2018 के प्रथम सप्ताह में डब्ल्यू.आर.एस. कालोनी में निवासरत युवती भगवती की रेल दुर्घटना के पश्चात् अंबेडकर अस्पताल में 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया । किन्तु यह कहना सही नहीं है कि युवती ईलाज के अभाव में तड़फती रही तथा उसे प्रारंभिक चिकित्सा भी समय पर प्राप्त नहीं हो सकी, अपितु मरीज के अलग हुए पैरों को जोड़े जाने की दृष्टि से एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ डी.के.एस. अस्पताल भेजा गया, जहां सुपरस्पेशियालिटी विशेषज्ञों द्वारा भगवती का परीक्षण किया गया तथा दोनों पैर घुटने के नीचे से क्षत-विक्षप्त होकर अलग होने के कारण सर्जरी के द्वारा जोड़ा जाना संभव नहीं होना पाया गया। अत: एम्पुटेशन करके जान बचाने की दृष्टि से तथा अत्यधिक रक्तस्त्राव की भरपाई के लिए अंबेडकर अस्पताल के ट्रामा यूनिट में भर्ती किया गया।

अत: यह कहना कदापि सही नहीं है कि मरीज भगवती को अनावश्यक अंबेडकर अस्पताल से डी.के.एस. अस्पताल एवं पुन: अंबेडकर अस्पताल भेजा गया, बल्कि मरीज की प्राणरक्षा के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक था।

यह कहना कदापि सही नहीं है कि मरीज के कटे पैर को उसके बिस्तर में ही रखा गया तथा जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया गया, अपितु मेडिकोलीगल एविडेंस के लिये अलग हुए पैर, मरीज के पास रखा जाना आवश्यक था तथा चिकित्सकीय नियमों के अनुसार मरीज तथा उसके रिश्तेदारों की अनुमति के बिना उसे हटाया नहीं जा सकता था।

डी.के.एस. अस्पताल में 400 से अधिक सुपरस्पेशियालिटी बिस्तर उपलब्ध हैं तथा प्रतिदिन 100 से 120 मरीज भर्ती होते है, जिनमें न्यूरोसर्जरी, बर्न प्लास्टिक, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी के मरीज शामिल हैं। डी.के.एस. अस्पताल के प्रति बढ़ते हुए विश्वास एवं संतुष्टि का ही फल है कि आई.पी.डी. और ओ.पी.डी. एवं सर्जरी की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अत: यह कहना कदापि सही नहीं है कि सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल में व्यापक सुविधा न होने तथा अंबेडकर चिकित्सालय की सुविधा उक्त अस्पताल हेतु छीने जाने से मरीजों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है, अपितु डी.के.एस. अस्पताल में उपलब्ध उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का राज्य की जनता के द्वारा भरपूर उपयोग किया जा रहा है तथा लोगों में हर्ष व्याप्त है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और डी.के.एस. सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरा जो ध्यानाकर्षण का प्रश्न है वह नवंबर माह का है, परसों भी दैनिक भास्कर प्रेस के फ्रंट में एक समाचार छपा हुआ है कि सर में चोट तो डी.के. और पैर टूटा तो अंबेडकर में इलाज, दोनों जगह चोट है तो भटकते रहे मरीज। तो लगातार यह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। दाऊ कल्याण सिंह जी जो हमारे प्रदेश के बहुत दानवीर और बहुत बड़ी विभूति रहे हैं, मैं आपके सामने डी.के.एस. अस्पताल के कुछ आंकड़े रखूंगा जिससे स्थिति कुछ स्पष्ट होगी और मंत्री जी से कुछ प्रश्न भी चाहूंगा कि वह उसका उत्तर दें। डी.के.एस. सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब इस सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल की कल्पना की गई और जब इसमें आऊटसोर्सिंग की गई तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप पाईंटेड प्रश्न करें, इसे भाषण का शक्ल न दें।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रेडियोलॉजी विभाग में एक अनोखा अनुबंध हुआ, पूरे देश के किसी भी राज्य में ऐसा अनुबंध नहीं हुआ होगा, उसको आऊटसोर्स करने के लिए जिसमें एक एम.आर.आई. और एक सिटी स्कैन मशीन लगाना था। एम.आर.आई. थ्री टेसला का और सिटी स्कैन 128 स्लाईस का लगाना था और जिस कंपनी को अनुबंध के लिए बोला गया उसमें शर्त ये रखी गई कि आपका प्रदेश के बाहर भी कोई एक रेडियोलॉजी सेंटर होना चाहिए। जिससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी लोग को इसमें इन्वाल्व नहीं करना चाहते थे। ये जो शर्तें रखी गई थी कि 3 टेस्ला का एम.आर.आई और 128 स्लाईस का सी.टी. स्कैन लगाने के बाद जो 7 सोनोग्राफी मशीन, डिजीटल एक्स-रे, ई.को, इसके बाद गवर्नमेंट की बिजली, गवर्नमेंट का इन्फ्रास्टकचर, गवर्नमेंट का डॉक्टर और गवर्नमेंट का स्टाफ, ये सारे के सारे जिस कंपनी को अनुबंधित किया गया, उसका पूरा Remuneration है वो उस कंपनी को मिल रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, अरे आप प्रश्न पूछो न भैय्या, हम लोग प्रश्न क्या पूछ रहे हो करके दिमाग दौड़ा रहे हैं।(हंसी) आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में ही आ रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर बातें हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, डिपार्टमेंट की चर्चा में बाकी ये डिटेल आप दे देना । अभी आप प्रश्न पूछ लो, हम लोग बहुत देर से दिमाग दौड़ा रहे हैं कि प्रश्न निकले करके?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई प्रश्न नहीं है।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि....।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आप नये सदस्यों की तरह डिप्रेस कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम नये साथियों के साथ..। (व्यवधान) इस तरह से नये सदस्यों को बोलने नहीं दिया जायेगा ....।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नये सदस्य को हम लोग आहत करने को नहीं बोल रहे हैं, उनको तो हम ये बतायें कि अभी स्वास्थ्य की चर्चा होगी, उसमें ये सारे तथ्य रखना, उसमें पूछेंगे तो हम लोग भी अपना दिमाग लगायें।

श्रीमती डॉ. रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जानकारी के लिए कि डॉ. विनय जायसवाल मेरे विद्यार्थी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, तो आप उनको संरक्षण दे रहे हैं । (हंसी)

श्रीमती डॉ. रेणु जोगी :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए कह रही हूं कि प्वाईंनटेड प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, फिर तो भाभी जी आपको स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे प्रश्न पर आता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, टीचर है इसलिए बता रही है कि कैसे प्रश्न पूछना है करके। अभी भी बता रही है किस ढंग से पूछना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वो भाभी जी की स्टूडेंट है न इसलिए यहां विधायक बन के आये हैं और आप भैय्या जी के स्टूडेंट थे इसलिए वहां बैठे हैं। (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भैय्या आप भाभी जी के पास बैठे हैं बिल्कुल सुधर जाओगे अब हमको मालूम है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हो गया भैय्या और कैसा सुधारना चाहते हो। (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, जिस परिकल्पना से इस अस्पताल का निर्माण किया गया, माननीय मंत्री जी ने .....।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, भाभी जी तो आपको सुधार नहीं पाये, आप उधर छोड़ के चले गये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं हम छोड़ के नहीं गये। हम तो मूल स्थान में हैं भैय्या, हम छोड़े नहीं हैं, आप धोखे में मत रहो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे प्रश्न मे आ रहा हूं जो अनुबंध का करार किया गया और जो लाभ कंपनी को पहुंचाया जा रहा है। उसमें मात्र 16 स्लाईस का एक सी.टी. स्कैन का मशीन डी.के.एस. में लगा के सारा का सारा Remuneration ले रहे हैं तो माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो अनियमितता हुई है, न केवल एक रेडियो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, वहां की लाऊंड्री हो, वहां की फार्मेसी हो, वहां का आऊटसोर्सिंग हो, सिक्योरिटी और सफाई के लिए एक करोड़ पर मंथ उस अस्पताल में खर्च हो रहा है, ये उदाहरण कहीं नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न ये है कि आखिर में लाभ किसको हुआ, क्या इसकी जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के हमारे डॉ. विनय जायसवाल जी का कहना है कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, पुराने लोगों ने बिगाड़ के रखा है, उसको ठीक करना है, ये इनका कहना है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्थिति हो रही है कि जो सुपरस्पेसिलिटी के ब्रांच हैं और ट्रामा के कारण आर्थोपेटिशन वहां उपलब्ध नहीं है, वहां सर्जन उपलब्ध नहीं है, वहां क्रिटिकल केयर के लोग उपलब्ध नहीं हैं तो क्या उसकी उपलब्धता करा के ये जो ईलाज में विसंगति पैदा हो रही है उसको ठीक करेंगे.......।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमांड मांग के लायक जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं, लेकिन एक बात है ये श्री अमितेश शुक्ल जी दौरे वौरे में नहीं जाते, ये बाहर में ही गुलाल को लगा के चेहरा धो के अंदर आ जाते हैं। (हंसी)

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष जी, बहुत गजब।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना से पूरी तरह से सहमत हूं और सहानुभूति रखता हूं, किन्तु जिस प्रक्रिया में हम लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रश्न से ये बातें भिन्न हैं, जो बातें पूछ रहे हैं वो ध्यानाकर्षण का विषय ही नहीं है। किन्तु उसके अलावा कोई भी जानकारी जब भी वो चाहेंगे मैं उनको सारी जानकारियां उपलब्ध करा दूंगा और हम लोग की मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों के पैसे से जो सुविधाएं स्थापित की गई हैं, वो बेहतर से बेहतर तरीके से संचालित हो, जो भी उसमें कमियां हो, कैसे हो सकता है कि कहीं कमी न हो किसी व्यवस्था में उसको पारदर्शी तरीके से हम लोग उसका समाधान करेंगे। कमियां कम से कम हो और जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। स्टाफिंग पैटर्न इत्यादि जो भी हो वो जानकारी सदस्य चाहेंगे, मैं उपलब्ध करा दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ विधान सभा का बहुत महत्वपूर्ण दिन है मैं टी.एस. सिंहदेव साहब को इस बात के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वे ध्यानाकर्षण में बिना प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (7) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

3. सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, सदस्य
4. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
5. सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
6. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
7. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

समय :
12:26 बजे

<u>नियम - 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
3. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
4. श्री यू.डी. मिंज, सदस्य
5. श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 18 फरवरी, 2019 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराहन 12 बजकर 26 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 (माघ 29, शक संवत् 1940) के पूर्वाहन 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 15 फरवरी, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं